



भारत सरकार
Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare
उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,
FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE (NER)
विश्वनाथ चारिआलि, जिला- विश्वनाथ (असम)
Biswanath Chariali: Dist. - Biswanath: Assam-784176

Web site : <http://nerfntti.nic.in>E-mail : fntti-ner@nic.in

संख्या. 17-1/2016-RTI -402

दिनांक. 29 मार्च 2017

प्रति,

Shri Ankit
D-54, Mangolpuri,
Delhi, Pin-110033

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत श्री विजय कुमार के द्वारा मांगी गई सूचना ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके ऑनलाइन आरजीआई आवेदन पत्र पंजीकरण सं. DOA&C/R/2017/ 00217 दिनांक 17.02.2017 जो मंत्रालय के पत्र संख्या 9-33/2017-एम.& टी. (प्रशासन) दिनांक 16.03.2017 द्वारा धारा 6(3) के तहत प्रेषित की गई है-

क्र०सं०	मांगी गई सूचना	उत्तर
(1)	कृषि एवं सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सब ओडिनेट कार्यालयों में वर्ष 2010 से आज तक रहे निदेशक एवं विभागाध्यक्ष के नामों व उनकी अवधि की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।	वर्ष 2010 से इस संस्थान के निदेशक का नाम एवं अवधि निम्न प्रकार है- 1) श्रीएम.के. विश्वकर्मा- 22.06.2009 से 31.01.2015 तक 2) श्रीजे.जे. नरवरे - 12.02.2015 से 17.05.2016 तक 3) श्रीके.के. नागले -- 18.05.2016 से अब तक
(2)	इन कार्यालयों के निदेशक एवं विभागाध्यक्षों के Deputation Period के समय के बारे में एवं बढ़ायें गये Period के बारे में सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।	इस संस्थान का सूचना शून्य मान जाए ।
(3)	इनका Deputation Period भारत सरकार के नियमनुसार बढ़ाया गया है यदि हा तो नियम की छाया प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।	नहीं ।
(4)	विस्तार निदेशालय का वर्तमान निदेशक एवं विभागाध्यक्ष का इस पद पर Deputation पर आने की तिथि एवं समय समय पर बढ़ायें गये Deputation Period के बारे में सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है ।
(5)	श्रीमती सुनेजा का चयन इस पद पर की गयी नियुक्ति के नियम और R/R की प्रति देने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है ।
(6)	किसी प्रशासनिक अनुभवहीन उम्मीदवार को निदेशक प्रशासन (विभागाध्यक्ष) के पद पर चयनित किया जा सकता है यदि हा तो नियम और R/R की प्रति देने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है ।
(7)	वर्तमान निदेशक प्रशासन के पद पर चयन के समय उनके पिछले पाँच साल के प्रशासनिक अनुभव की प्रति देने का कष्ट करें। DAC ने इंटरब्यू के समय UPSC को इंटरब्यू लेने के संबंध में दी गई गाइड लाइन की छाया प्रति देने का कष्ट करें।	इस संस्थान से संबंधित नहीं है ।
(8)	भारत सरकार ने किसी लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नति करने का कोई नियम है तो छाया प्रति उपलब्ध करवायें। निदेशालय में उप निदेशक लेखा को निदेशक प्रशासन/ विभागाध्यक्ष के रूप में किस प्रकार पदोन्नति दी जा सकती है इस प्रकार के R/R बनाकर केवल एक व्यक्ति को विभागाध्यक्ष बनाकर सभी फीडर कैंडि	संबंधित नहीं है ।

	पदोन्नति रोकने का अनुचित निर्णय किस नियम के अनुसार लिया गया प्रतिलिपि उपलब्ध की जाये।	
(9)	विस्तार निदेशालय का वर्तमान निदेशक एवं विभागाध्यक्ष का इस पद पर Deputation पर नियुक्ति संबंधी एवं Deputation संबंधी समय बढ़ाने जाने वाली सम्पूर्ण मिसिल की छाया प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(10)	इनकी इस पद में नियुक्ति भारत सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर बनाये गये R/R के नियम के अनुसार थी। यदि हा तो विस्तार निदेशालय के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष के पिछले वर्षों 2008 से लेकर आज तक के R/R की छाया प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(11)	विस्तार निदेशालय का वर्तमान निदेशक एवं विभागाध्यक्षों के पिछले वर्षों 2008 से लेकर आज तक बदले गये R/R संमंधी मिसिल की तथा R/R की छाया प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(12)	विस्तार निदेशालय में निदेशक प्रशासन एवं विभागाध्यक्ष के पद के R/R बदले गये या सभी प्रकार के पदों के R/R बदले गये। उनमें कोई बदलाव किया गया। यदि हा तो जिन पदों के R/R में पिछले R/R में बदलाव किया गया उनकी नये व पुराने R/R की छाया प्रति उपलब्ध तथा सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(13)	पछले R/R के अनुसार विस्तार निदेशालय में उप निदेशक (लेखा) को पदोन्नति से निदेशक प्रशासन के पद पर तैनात किया जा सकता था। यदि हा तो नियम की प्रति उपलब्ध करायें।	संबंधित एवं उपलब्ध नहीं है।
(14)	बदले गए R/R के अनुसार विस्तार निदेशालय में उप निदेशक (लेखा) को निदेशक प्रशासन एवं विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति हो सकती है। यदि हा तो एक कैडर से दूसरे कैडर में पदोन्नति संबंधी नियम से अवगत करवाये तथा एक छाया प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(15)	विस्तार निदेशालय में निदेशक प्रशासन के पद के R/R बदलते समय फीडर कैडर सुझाव मांगे गये थे। यदि है तो order की छाया प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। यदि नहीं तो DOPT को गुमराह किया गया सूचना देने का कष्ट करें।	संबंधित एवं उपलब्ध नहीं है।
(16)	भारत सरकार/ विस्तार निदेशालय में लेखा काडर को प्रशासनिक काडर में पदोन्नति के संमंधी सरकारी नियमों का छाया प्रतिलिपि दी जाये।	संबंधित नहीं है।
(17)	यदि विस्तार निदेशालय में लेखा काडर को प्रशासनिक काडर में पदोन्नति दी जा सकती है तो निदेशालय के अन्य काडरों को भी दूसरे काडरों में रदोन्नति संबंधी R/R बदले गये थे यदि नहीं तो नियम से अवगत करवायें।	संबंधित नहीं है।
(18)	क्या इस प्रकार बदलाव केवल एक अधिकारी के पक्ष में किया गया है सूचना से अवगत करवायें।	शून्य
(19)	विस्तार निदेशालय में निदेशक प्रशासन /विभागाध्यक्ष का पद सेनसिटिव है। यदि हा तो वर्तमान में इस पद पर काबिज अधिकारी का Deputation Period बढ़ाने के लिए मिसिल में इसका उल्लेख किया गया था। मिसिल की छाया प्रति देने का कष्ट करें।	संबंधित एवं उपलब्ध नहीं है।
(20)	सातवे वेतन आयोग के अनुसार निदेशालय के सभी पदों के भर्ती नियमों में संशोधन के लिए की जा रही कार्यावाही की मिसिल की छाया प्रति देने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।

(21)	इस मिसिल में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सूझावों को शामिल किया गया है यदि हो तो प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(22)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये सूझावों की प्रति देने का कष्ट करें।	शून्य
(23)	विस्तार निदेशालय से पिछले तीन वर्षों से Deputation के लिए चयन होने पर भी Deputation पर जाने के लिए relive नहीं करने के कारण/नियम से अवगत करवायें।	संबंधित नहीं है।
(24)	विस्तार निदेशालय / भारत सरकार में deputation पर गये कर्मचारियों को Extension नहीं देने के नियम से अवगत करवायें।	शून्य
(25)	यह नियम केवल छोटे कर्मचारियों पर लागु है या निदेशक प्रशासन /विभागाध्यक्ष पर लागु होता है यदि निदेशक प्रशासन /विभागाध्यक्ष का Extension बढ़ाने संबंधी नियम की छाया प्रति देने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(26)	कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के पास सबआडिनेट कार्यालयों से तैनात किये गये सभी कर्मचारियों उनके अधिकारियों के नामों, तथा नियम की सूचना प्रदान करने का काट करें।	Annexure-I संलग्न है।
(27)	विस्तार निदेशालय में पिछले 25 सालों में UDC के पद पर कर्मचारियों को दी गयी Adhoc पदोन्नति के नियमों की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(28)	विस्तार निदेशालय में UDC के रिक्त पदों की सूचना देने का कष्ट करें इन पदों को Adhoc पदोन्नति से भरा जा सकता है। यदि हों तो कब तक यदि नहीं तो नियम की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(29)	कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किस स्तर के अधिकारियों को घर से आने जाने सरकारी काम एवं परसनल काम के लिए सरकारी वाहन अलॉट की जाती है।	इस संस्थान का सूचना शून्य मानी जाए।
(30)	विस्तार निदेशालय द्वारा पिछले 5 सालों में कृषि एवं सहकारिता विभाग में तैनात अधिकारियों को सरकारी या प्राइवेट गाडी दी गयी थी यदि हों तो अधिकारी एवं गाडी चालक का नाम एवं तैनाती के order तथा उनके द्वारा भरी गयी झूटी की छाया प्रति एवं नियम की छाया प्रति उपलब्ध करने का कष्ट करें।	जानकारी शून्य है।
(31)	विस्तार निदेशालय में पिछले आठ वर्षों में निदेशक प्रशासन एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किये गए सर्विस Dies non , पेय से रिकवरी मेमो, चेतावनी तथा छुट्टियाँ नामजूर किये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नामों से अवगत करवाने तथा इनकी एक छाया प्रति उपलब्ध करने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(32)	इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के छुट्टियाँ होने के बाद भी सर्विस Dies non पेय से रिकवरी तथा छुट्टियाँ नामजूर किये गये हैं यदि हों तो इनकी छुट्टियाँ नामजूर करने का कारण की सूचना से अवगत करवाने तथा इनकी एक छाया प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(33)	इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सर्विस Dies non पेय से रिकवरी तथा छुट्टियाँ एक साथ ही काट कर दण्डित किया गया है। यदि हों तो नियम से अवगत करवायें।	शून्य
(34)	विस्तार निदेशालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ISTM आदि में प्रशिक्षण पर भेजा जाता है। इस प्रशिक्षण के लिए कोई सरकुलर सरकुलेट किया जाता है। यदि हों तो एक छाया प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
(35)	ISTM आदि में प्रशिक्षण पर भेजने के लिए भाई भतीजे वाद का सहारा क्यों लिया जाता है।	शून्य
(36)	विस्तार निदेशालय में निदेशक प्रशासन के पद के वर्तमान में किये गये Recruitment Rule (RR) आर आर समंधी मिसिल की संपूर्ण छाया प्रति प्रदान करवाने का कष्ट करें।	संबंधित एवं उपलब्ध नहीं है।

(37)	क्या कारण है कि निदेशक प्रशासन के पद के Recruitment Rule (RR) को बदलवाने के लिए उप निदेशक के होते हुए मिसिल उप निदेशक (लेखा) द्वारा यह निर्णय लेकर सक्षम प्रधिकारी और मंत्रालय तक बहुत भेजा गया उसमें उप निदेशक प्रशासन की अनदेखी क्यों की गई।	संबंधित नहीं है।
(38)	विस्तार निदेशालय में पिछले 10 वर्षों में किन कर्मचारियों को ओवर टाईम दिया गया और कितना तथा उन्होंने कहा इयुटी की थी की छाया प्रति उपलब्ध करवाई जाए।	संबंधित नहीं है।
(39)	विस्तार निदेशालय में ड्राईवरों की छुट्टी और प्रति पूरक छुट्टी के नियम बताए जाए।	संबंधित नहीं है।

नोट- इस कार्यालय में हिन्दी टंकक उपलब्ध नहीं है, एक पद ह जो रिक्त है।

Name, Designation & Address of Appellate Authority

Shri K.K. Nagle, Director
North Eastern Region Farm Machinery Training & Testing Institute, Biswanath Chariali,
Dist. Biswanath, Assam, Pin-784176
Tel. No. 03715 - 222094, Fax No. 03715-230358

भवदीय,



(ए.के. उपाध्याय)

वरिष्ठ कृषि अभियन्ता एवं सी.पी.आई.ओ.

प्रतिलिपि-

- (1) श्रीमती वी तलवार, अवर सचिव-एम एण्ड टी एवं सी.पी.आई.ओ. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कमरा न. 25A, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001-आपके पत्र संख्या 9-33/2017-M&T (प्रशासन) दिनांक 16-03-2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (2) निदेशक, उ.पू.क्षे.कृ.य.प्र. एवं प.स., बी. चाराली, सादर सूचनार्थ।

Handwritten signature and date: 28/3/17



(ए.के. उपाध्याय)

वरिष्ठ कृषि अभियन्ता एवं सी.पी.आई.ओ.

Handwritten signature and date: 28/3/17

Issued
Biswanath
30-3-17

Annexure-I

Detailed Actual Strength

Sl.No.	Name of employee	Designation	Pay Band + GP	Existing Strength	Remarks
Group- A					
1	K.K. Nagle	Director	PB3-15600-39100 + GP -7600	1	
2	A. K. Upadhyay	Sr. Agril. Engineeer	PB3-15600-39100 + GP -7600	1	
Group- B (Gaz)					
3	J.P. Mandal	Agril. Engineer	PB2-9300-34800 + GP 4600	1	
4	S.G. Pawar	Agril. Engineer	PB2-9300-34800 + GP 4600	1	
Group-B (NG)					
5	Mukti Parajuli	Office Superintendent	PB2-9300-34800 + GP 4200	1	
6	Khagendra Bora	Sr. Technical Assistant	PB2-9300-34800 + GP 4200	1	
Group- C					
7	Bitul Payeng	Accountant	PB2-5200-20200 + GP 2800	1	
8	Prem Bd. Biswakarma	Accountant	PB2-5200-20200 + GP 2800		
9	Partha Lodh	Technical Asstt.	PB2-5200-20200 + GP 2800	1	on study leave
10	P.C. Hazarika	Sr. Technician	PB2-5200-20200 + GP 2400	1	
11	Ananda Das	Sr. Technician	PB2-5200-20200 + GP 2400	1	
12	Bhaskarjit Nath	Sr. Technician	PB2-5200-20200 + GP 2400	1	
13	Haradhan Bawri	Sr. Technician	PB2-5200-20200 + GP 2400	1	
14	Romanch Raj Saikia	Sr. Technician	PB2-5200-20200 + GP 2400	1	
15	Dharmendra Kr. Nath	Agril. Asstt.	PB2-5200-20200 + GP 2400	1	
16	Praphul Kumar	Steno Gr.II	PB2-5200-20200 + GP 2400	1	
17	B. Upadhyaya	LDC	PB2-5200-20200 + GP 1900	1	
18	Hemanta Das	LDC	PB2-5200-20200 + GP 1900	1	
19	Kailash Chetia	Technician	PB2-5200-20200 + GP 1900	1	
20	Rupeswar Sut	MTS (Non-Tech.)	PB2-5200-20200 + GP 1800	1	
21	Pawan Kr. Balmiki	MTS (Non-Tech.)	PB2-5200-20200 + GP 1800	1	
22	Ranjan Kr. Das	MTS (Non-Tech.)	PB2-5200-20200 + GP 1800	1	
23	Karuna Basumatary	MTS (Non-Tech.)	PB2-5200-20200 + GP 1800	1	
24	Lakhyanath Giri	MTS (Non-Tech.)	PB2-5200-20200 + GP 1800	1	
25	Nagen Bhuyan	MTS (Non-Tech.)	PB2-5200-20200 + GP 1800	1	
26	Nanki Basfor	MTS (Non-Tech.)	PB2-5200-20200 + GP 1800	1	
Total				28	